

Printed on  
Log website  
09/2/17

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:-प.1(क)(205)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एलबी/08/1049

दिनांक :-8-2-17

:: आदेश ::

राजस्थान नगर पालिका सेवा के श्री अशोक चौधरी, राजस्व अधिकारी-प्रथम (अधिशाषी अधिकारी), नगर पालिका, फलौदी की दिनांक 23.12.2016 को असामयिक निधन होने के कारण इन्हें पालिका सेवा से दिनांक 23.12.2016 से निर्देशानुसार सेवानिवृत्त किया जाता है।

Sd/-  
(मुकेश कुमार मीणा)  
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक:- प.1(क)(205)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एलबी./08/1050-1073 दिनांक :-8-2-17  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
04. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
05. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी की प्रथम नियुक्ति से अब तक के दौरान आपके क्षेत्राधिकार की नगर पालिका में यदि किसी प्रकार की अग्रिम राशि ली गई हो एवं उसका समायोजन अभी तक भी नहीं कराया गया हो, किसी जांच में पालिका को आर्थिक हानि पहुंचाई गई हो, जिसकी वसूली की जानी हो, इस संदर्भ में प्रथम दृष्ट्या सेवा पुस्तिका मंगवाई जाकर दण्डादेश छुपाया गया हो, तो उससे लिखित में प्रमाण पत्र भेजकर सूचना ली जावे। संबंधित नगर पालिकाओं से प्रमाणीकरण की प्रविष्टियां पूर्ण की जावें एवं उनके वेतन से काटी गई जी.पी.एफ., ग्रेच्युटी एवं बकाया वेतन के सन्दर्भ में शीघ्र नियमानुसार भुगतान किये जाने हेतु कार्यवाही की जावे।
06. प्रभारी (आर.एम.एस.जांच)/सहायक निदेशक (सतर्कता) को भेजकर लेख है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच दण्डादेश हानि के सन्दर्भ में नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जावे।
07. सभापति/अध्यक्ष, आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, बालोतरा/मकराना/रानी/फलौदी/बेगूं/मण्डवा/लाडनू/सॉचौर।
08. स्व0 श्री अशोक चौधरी पुत्र श्री लादू राम चौधरी, ग्राम पोस्ट-चाडी, तहसील-रामसर, जिला-बाडमेरं को सूचनार्थ।
09. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

M  
(मुकेश कुमार मीणा)  
अतिरिक्त निदेशक